न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी एल0 आर0 गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 07/2016 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये सुरेन्द्र कुमार
के.पी. प्रवर्तन निरीक्षक ,
बिजोलिया भीलवाडा

बनाम

1. किराना दुकानदार श्री धर्मवीर पिता रामस्वरूप चौधरी निवासी हाल मौका मांगो की बालत, नयानगर पाल ए एन एम क्वार्टर पंचायत नयानगर, तहसील बिजौलिया

–प्रार्थी

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. श्री कैलाश चन्द्र सोमानी अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 16.11.2017

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि किराना दुकानदार श्री धर्मवीर पिता रामस्वरूप चौधरी राशन के गेंहू बेचते हुए पकड़ा गया हैं। दिनांक 01.09.2016 सांय 5.15 बजे ग्राम नयानगर से किराना दुकानदार श्री धर्मवीर चौधरी निवासी हाल मौका मांगी की बालत, नयानगर पाल ए एन एम क्वार्टर पंचायत नयानगर, तहसील बिजौलिया द्वारा भारतीय खाद्य निगम की सील लगे राशन गेंहू 100 किलो मजदूरों से खरीदकर 1420/– रूपये में श्री सूरजमल पिता रतनलाल जैन निवासी बिजौलिया को बेचा गया । प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जब्तशुदा गेंहू को श्री नरेन्द्र कुमार धाकड बिजौलिया कय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड सलावटिया को सुपुर्द किया गया । भविष्य में मांगे जाने पर गेंहू अथवा कीमतन 1900/–रू. राजकोष में जमा करवा दिये जायेगें । अतः विपक्षी धर्मवारी चौधरी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न वितरण एवं विनियम आदेश 1976 की धारा 6 ए का उल्लघंन किया हैं। अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा 100 किलोग्राम गेंहू को राजसात करने का आदेश फरमावें ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.10.2016 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी की ओर से दिनांक 26.04.2017 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

विपक्षी धर्मवीर ने अपने जवाब में बताया कि विपक्षी कि दुकान ग्राम नया नगर बिजौलिया में स्थित हैं । जिस पर किराणा व गेंहू व्यवसाय करता हैं। ग्राम के ही व्यक्ति जो विपक्षी को जानते पहचानते हैं तथा राशन की दुकान से दो कटटे लेकर आये और बारिश की वजह से उन्होनें कहा कि यह कटटे आपके गोदाम में रख दो हम अगले दिन आकर ले जायेगें तो विपक्षी ने कटटे गोदाम में रखने के लिये बोल दिया । उसके

बाद शाम को श्री सूरजमल पिता रतन लाल जैन निवासी बडे दरवाजे के पास बिजौलिया विपक्षी के पास आये और उन्होनें कहा कि गेहूं है क्या ? तो विपक्षी ने कहा कि उपलब्ध है। विपक्षी के पास पडे हुए गेंहू का भाव ताव तय कर 100 किलो गेंहू का विक्रय तय किया । इनको कहा कि गोदाम में शक्कर के पास गेंहू के पांच कटटे पडे हुए है। उनमें से दो कटटे ले जाना । गोदाम से सूरजमल को जो कटटे बताये थे , वह नहीं ले गये और गलती से गोदाम में से वही दो कटटे उठाये जो राशन कार्ड धारी बारिश की वजह से रखकर गये थे और गोदाम से सीधे ही सूरजमल निकल गये और विपक्षी भी किराणा की दुकान पर अधिक भीड की वजह से ध्यान नहीं दे पाया । जब सूरजमल जी गेंहू लेकर जा रहे थे उसी शाम करीब 5.15 बजे प्रवर्तन निरीक्षक बिजौलिया द्वारा पूछताछ की गई जिनमे विपक्षी का नाम बताया गया । जो गेंहू सूरजमल जी लेकर गये वो गलती से लेकर गये । विपक्षी ने जो गेंहू इनको बेचे थे स्वयं के थे, लेकिन गलती से राशन कार्ड धारी जो बारिश की वजह से रखे गये, वह लेकर गये थे । विपक्षी ने कभी राशन के गेंहू का व्यापार नहीं किया । न ही अन्य कोई राशन की वस्तुओं का व्यापार किया । विपक्षी पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद हैं और गलत हैं । जिससे विपक्षी के विरूद्व चल रहे प्रकरण को निरस्त फरमाया जावे ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी । दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि किराना दुकानदार श्री धर्मवीर पिता रामस्वरूप चौधरी राशन के गेंहू बेचते हुए पकड़ा गया हैं। दिनांक 01.09.2016 सांय 5.15 बजे ग्राम नयानगर से किराना दुकानदार श्री धर्मवीर चौधरी निवासी हाल मौका मांगी की बालत, नयानगर पाल ए एन एम क्वार्टर पंचायत नयानगर, तहसील बिजौलिया द्वारा भारतीय खाद्य निगम की सील लगे राशन गेंहू 100 किलो मजदूरों से खरीदकर 1420/– रूपये में श्री सूरजमल पिता रतनलाल जैन निवासी बिजौलिया को बेचा गया । प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जब्तशुदा गेंहू को श्री नरेन्द्र कुमार धाकड बिजौलिया क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड सलावटिया को सुपुर्द किया गया । भविष्य में मांगे जाने पर गेंहू अथवा कीमतन 1900/–रू. राजकोष में जमा करवा दिये जायेगें । विपक्षी धर्मवारी चौधरी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न वितरण एवं विनियम आदेश 1976 की धारा 6 ए का उल्लघंन किया हैं। अतः निवेदन हैं कि जब्तशुदा 100 किलोग्राम गेंहू को राजसात करने का आदेश फरमावें ।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध ग्रामवासियों के बयान अनुसार दो कटटे राशन गेंहू भारतीय खाद्य निगम सील लगे किराना दुकानदार श्री धर्मवीर पिता रामस्वरूप चौधरी ए.एन.एम. पति को पंचायत में से गेंहू निकालकर श्री सूरजमल पिता रतनलाल जैन निवासी बिजौलिया को बेचते हुए पकडा एवं राशन का गेंहू भी पकडा । इस प्रकार विपक्षी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया जाना सिद्ध होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्त सरकार किया गया दो कटटे गेंहू वजन 100 किलोग्राम को राजसात किया जाना युक्तियुक्त है। अतएव –

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है एवं जब्त सरकार किया गया दो कटटे गेंहू वजन 100 किलोग्राम को राजसात किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी भीलवाडा को प्रेषित की जावे । जिला रसद अधिकारी भीलवाडा उक्त दो कटटे गेंहू वजन 100 किलोग्राम का अन्तिम निस्तारण कर राशि जमा करा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

16/11/17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा